

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 28/2020 (75 एलआरए) सोभागसिंह वगै. बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00003)

- 1 श्री सोभागसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा
- 2 श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा
- 3 श्री सुजानसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा
- 4 श्री प्रहलादसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा तहसील गंगधार
जिला झालावाड़

..... अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध आदेश तहसीलदार गंगधार

दिनांक 22.11.2019 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 971/2019

उपरिस्थित :

- 1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री तोकीर आलम
- 2 रेस्पोंडेंट की ओर से अधिवक्ता पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

- 1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 971/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
- 2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 971/2019 पटवारी हल्का कछनारा की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर

अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया परंतु अतिक्रमी उपस्थित नहीं हुए तथा एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 22.11.2019 को निर्णय पारित किया गया कि श्री सोभागसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा, श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा, श्री सुजानसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा, श्री प्रहलादसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान द्वारा इस वर्ष संवत् 2076 में खसरा नं. 2074, 2075, 2076, 2028, 2063, 2065 कुल किता 6 रकबा 3.04 बीघा किस्म बारानी प्रथम व बीड पर कब्जा कर सोयाबीन की फलस बोकर एवं चारा काटकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी द्वारा गत वर्ष संवत् 2075 में अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एल.आर.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नं. 1618 निर्णय दिनांक 11.03.2019 से बेदखल किया गया था एवं रु. 197 शास्ति कायम की गई थी अतिक्रमी द्वारा पुनः इस वर्ष भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार का अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पटवारी हल्का कछनारा के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली कराए गए। पटवारी हल्का के बयान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः अप्रार्थी को एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के अंतर्गत ग्राम कछनारा की आराजी खसरा नं. 2074, 2075, 2076, 2028, 2063, 2065 कुल किता 6 रकबा 3.04 बीघा किस्म बारानी प्रथम व बीड पर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही लगान 3.94 का 50 गुना 197 रु. पेनल्टी कायम की जाती है। फसल को जप्त राज करवा कर नीलामी के आदेश दिये जाते हैं। राशि की मांग कायमी पटवारी व टी.आर.ए. को करवाई जावे साथ ही अप्रार्थी का ग्राम कछनारा की आराजी खसरा नं. 2074, 2075, 2076, 2028, 2063, 2065 कुल किता 6 रकबा 3.04 बीघा किस्म बारानी सोयम व बीड की भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अप्रार्थीगण को एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास सजायाब किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी उन्हेल को भिजवाए गए। अपीलांट ने उक्त निर्णय से ब्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

- 2 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
- 3 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि सभी अपीलांट्स को विधिवत पृथक-पृथक नोटिस जारी नहीं किया है ना ही विधिवत नोटिस की तामील करवाई गई है, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्वतंत्र साक्ष्य

नहीं ली और न कोई जांच की। केवल रिपोर्ट पटवारी की साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिया है तथा एक ही दिन में निर्णय पारित कर दिया है जो कानून के खिलाफ है। अपीलांट्स में से किस किस ने कितनी भूमि पर कब्जा किया है स्पष्ट नहीं तथा किस अपीलांट को कितनी सिविल कारावास की सजा आरोपित की है स्पष्ट नहीं है। अपीलांट्स का ग्राम कछनारा की खसरा नं. 2074, 2075, 2076, 2028, 2063, 2065 कुल किता 6 रकबा 3.04 बीघा किस्म बारानी प्रथम व बीड सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है और न ही नाजायज कब्जा है। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपील अंदर मियाद है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं एकतरफा होने से अपील स्वीकार फरमा कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.11.2019 अपास्त किया जावे।

4 रेस्पोंडेंट की ओर से अधिवक्ता पैरोकार सरकार बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट अतिक्रमी है जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है तथा पटवारी हल्का की साक्ष्य ली गई है जो पर्याप्त है। कब्जा छोड़ने का कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अपीलांट्स को विधिवत तामील नहीं हैं। अधीनस्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट्स को कोई जारी नहीं हुए हैं। नोटिस की तामील शुदा प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। जबकि निर्णय में उल्लेख किया है कि अप्रार्थीगण श्री सोभागसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा, श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा, श्री सुजानसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा, श्री प्रहलादसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कछनारा को जरिये नोटिस तलब किया गया व अतिक्रमी उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार निर्णय में नोटिस जारी करने का उल्लेख है परंतु पत्रावली में नोटिस की तामील शुदा प्रति संलग्न नहीं हैं। आदेशिका में यह अंकित है कि रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर बाद नोटिस जारी दिनांक 14.11.2019 होकर पत्रावली दिनांक 22.11.2019 को मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र कचनारा पर पेश हो। लेकिन इस आदेशिका की पालना में जारी किए नोटिस का कोई विवरण अंकित नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को नोटिस जारी नहीं किये गये हैं। अतः अपीलांट्स को प्रकरण में विधिवत तामील नहीं किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट्स के अधिवक्ता का दूसरा तर्क है कि केवल पटवारी हल्का की साक्ष्य के

आधार पर एक ही दिन में निर्णय पारित कर दिया है। किस अपीलांट का किस भूमि पर कितना कब्जा है तथा किस अपीलांट को कितनी सिविल सजा की गई है निर्णय में स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का के बयानों में अंकित है कि अपीलांट्स ने ग्राम कछनारा की सिवायचक भूमि खसरा नं. 2074, 2075, 2076, 2028, 2063, 2065 कुल कित्ता 6 रकबा 3.04 बीघा पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। अतिक्रमी संवत 2058 से लगातार उक्त भूमि पर काबिज है। पूर्ववर्ती वर्षों में अतिक्रमी को कब्जा हटाने बाबत समझाया गया था परंतु अतिक्रमी पुनः अतिक्रमण कर लेता है। इस प्रकार उक्त व्यक्ति आदतन अतिक्रमी है।

पटवारी हल्का के उक्त बयान किस दिनांक को किसके समक्ष लिये गये अंकित नहीं हैं। बयानों के अंत में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी पटवारी की उपस्थिति व बयानों का विवरण अंकित नहीं हैं। बयानों से पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व के वर्षों में किये गये निर्णय को एवं उसकी पालना में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को बयानों से प्रमाणित नहीं किया है। निर्णय में भूमि की किस्म बारानी व बीड अंकित है परंतु पटवारी के बयानों में भूमि की किस्म सिवायचक अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संवत 2075 में किये गए अतिक्रमण जिस सोयाबीन व घास के संबंध में निर्णय की पत्रावली संख्या 1618/2018 संलग्न की गई है परंतु इस पत्रावली में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2019 पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

- 8 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स के विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। बयानों से पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व के वर्षों में किये गये निर्णय को एवं उसकी पालना में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को बयानों से प्रमाणित नहीं किया है। पटवारी के बयानों में भूमि की किस्म सिवायचक अंकित है जबकि निर्णय में भूमि बारानी प्रथम व बीड बताई गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संवत 2075 में किये गए अतिक्रमण जिस बीड व घास के संबंध में निर्णय की पत्रावली संख्या 1618/18 संलग्न की गई है परंतु इस पत्रावली में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2019 पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। प्रकरण में अपीलांट्स को एक माह (30) दिन का सिविल कारावास की सजा भी दी गई है। माननीय राजस्व मण्डल ने कई निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि धारा 91 के प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करके अप्रार्थी की अनुपस्थिति में सुनवाई का अवसर दिये बिना सजा दिया जाना कठोरतम दण्ड है। सजा जैसे कठोरतम दण्ड देने से पूर्व अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना

कानूनी रूप से आवश्यक है। इस प्रकरण में तो अपीलांट्स को नोटिस जारी होना भी नहीं पाया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है जो निरस्त योग्य है एवं प्रकरण रिमाण्ड करने योग्य है।

- 9 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को विधिवत तामील करवाई जाकर एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए प्रकरण में एक माह की अवधि में पुनः निर्णय पारित करे।

(दाताराम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़

- 10 निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़

